(156)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 ।

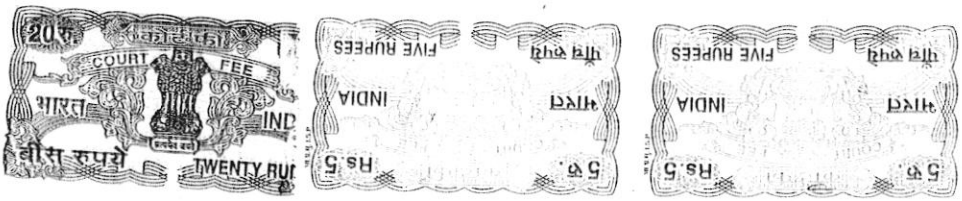

1- शत्रुघ्न सिंह पुत्र लगनधारी सिंह RP/पुनर्विलोकन/रीवा/भू-रा/2017/2358

वीरेन्द्र कुमार सिंह [illegible] आज दि 26-7-17 को

2- महोबत सिंह पुत्र लगनधारी सिंह

3- पंजाब सिंह पुत्र लगनधारी सिंह

4- मु0 गोरबा पत्नी स्व0 लगनधारी सिंह

-------- सभी निवासी ग्राम कंजरा तहसील मऊगंज जिला रीवा

वीरेन्द्र कुमार सिंह एड0 रीवा

म0प्र0 ------------ आवेदकगण ।

विरुद्ध

भुवर सिंह पुत्र राजभान सिंह निवासी ग्राम कंजरा तहसील मऊगंज जिला - रीवा म0प्र0 ------------- अनावेदक ।

पुर्नविलोकन प्र0क्र0 3212-2/2015 पारित आदेश दिनांक 21-06-17 .

आवेदन पत्र बावत् किए जाने पुर्नविलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0 ।

मान्यवर,

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के आधार हैं :-

1- यह कि उपरोक्त निगरानी माननीय न्यायालय मे विचाराधीन था, जिसका निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा 21-06-17 को किया जा चुका है।

वीरेन्द्र कुमार सिंह
एडवोकेट
जिला एवं [illegible] न्यायालय रीवा (म० प्र०)

क्र0 ------

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / पुर्नविलोकन / रीवा / भू.रा. / 2017 / 2358

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16 –8–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक द्वारा यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21–6–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण का अवलोकन किया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शायी गयी है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (एस0एस0 अली) सदस्य	